मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण
संख्या–U0-14/छः–पु–3–2023

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त पुलिस आयुक्त/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2023**

विषयः–प्रदेश में अभियोगों की विवेचना, उनके समयबद्ध निस्तारण तथा उनके पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिस0 बेल एप्लीकेशन संख्या–56496/2021 विवेक सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अभियोगों की विवेचना, उनके समयबद्ध निस्तारण तथा पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 26.08.2022 को आहूत बैठक में सुविचारित 15 बिन्दुओं पर कार्यवाही सम्बन्धी निर्णय के आलोक में अविलम्ब कार्यवाही आवश्यक है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अभियोगों की विवेचना, उनके समयबद्ध निस्तारण तथा उनके पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैः–

(1) प्रायः हस्तलिखित रिपोर्ट की अपठनीयता के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाय कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट/इंजरी रिपोर्ट/पूरक चिकित्सा रिपोर्ट टंकित रूप में निष्पादित की जाय तथा इस सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–11फ/कोर्ट–केस/2022–23/8182, दिनांक 15.12.2022 का अनुपालन किया जाय।

(2) पोस्टमार्टम के दौरान शवों के डी0एन0ए0, फिंगरप्रिंट के लिए अनिवार्य सैंपलिंग के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एम0एल0सी0/विविध/2014/106, दिनांक 20.06.2014 व पत्र संख्या–एम0एल0सी0/58/कोर्टकेस/2014/164, दिनांक 17.10.2014 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

(3) बंदूक से गोली लगने के प्रकरणों में मृतक के शरीर का पूरा एक्स–रे लेने के बजाय उस अंग का एक्स–रे कराया जाय, जहाँ पर गोली लगी है। यदि शरीर में प्रविष्ट गोली की स्थिति ज्ञात न हो रही हो तो एक्स–रे आवश्यक रूप से करा लिया जाय।

-2/-

GO 2020 > 22

(4) पोस्टमॉर्टम के दौरान मृतक की चोटों को उजागर करने वाली रंगीन तस्वीरें ली जायें तथा केस डायरी का भी हिस्सा बनाया जाय, ताकि अभियुक्तों की दोषसिद्धि सुनिश्चित करायी जा सके।

(5) सी0सी0टी0एन0एस0 साफ्टवेयर में केस डायरी भरने के उपरान्त प्रिंट कर मा0 न्यायालय भेजने से पूर्व केस डायरी में उल्लिखित दस्तावेजों/अभिलेखों को समुचित रूप से सूचीबद्ध करने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–25/2022, दिनांक 09.09.2022 का अनुपालन कराया जाय तथा केस डायरी में प्रोपर इंडेक्सिंग कराये जाने व गवाहों के बयान आडियो–वीडियो को केस डायरी का हिस्सा बनाये जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथाशीघ्र सम्पन्न की जाय।

(6) सीसीटीएनएस कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर में आरोप–पत्र भरने का प्रावधान उपलब्ध है, जिसके माध्यम से प्रदेश के थानों द्वारा आरोप–पत्र को साफ्टवेयर के माध्यम से ही भरा जा रहा है। सीसीटीएनएस में आरोप–पत्र में विस्तृत विवरण भरने हेतु विभिन्न विकल्प/कालम उपलब्ध हैं। अतः इस सम्बन्ध में विवेचकों को निर्देशित किया जाता है कि आरोप–पत्र भरते समय सभी सुसंगत तथ्यों यथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री का संक्षिप्त विवरण जो कि सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट जमा करने में गवाहों के बयान, मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट तथा अन्य परीक्षण रिपोर्ट, अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य इत्यादि का संक्षिप्त सार कैस साफ्टवेयर के IIF-5 के बिन्दु संख्या–16: Brief Facts of the Case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य) में अवश्य अंकन करें, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधिक मामलों में विशेष रूप से जघन्य अपराधों की विवेचना का पर्यवेक्षण केस डायरी का अनुश्रवण करते हुए विवेचना का निष्पक्ष एवं गुणवत्तापरक निस्तारण करके नियत समय में आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल कराया जाय। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–01/2019, दिनांक 02.01.2019, परिपत्र संख्या–29/2020, दिनांक 03.09.2020, परिपत्र संख्या–06/2021, दिनांक 19.02.2021 व परिपत्र संख्या–34/2022, दिनांक 08.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रदेश के समस्त विवेचकों को विवेचनाओं का समुचित ज्ञान बनाये रखने के उद्देश्य से समय–समय पर प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा संस्थानों में वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से प्रभावशाली रिफ्रेशर कोर्स आयोजित कराये जाय तथा जनपदों में नियुक्त विवेचकों को विवेचनाओं में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से सुनिश्चित अन्तरालों पर जनपद स्तर पर विधि विशेषज्ञों को अतिथि प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित कर रिफ्रेशर कोर्स आयोजित कराये जाय।

(9) द0प्र0सं0 की धारा 173(8) के अर्न्तगत अग्रिम विवेचना (Further Investigation) सम्पादित किये जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय को सूचना दिये जाने/अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्गत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–33/2022, दिनांक 08.10.2022 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) विवेचना के दौरान साक्षियों का बयान, ऑडियो/वीडियो, इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से अंकित किया जाय तो ऐसे ऑडियो/वीडियो को केस डायरी का अंग बनाया जाय और विवेचनोपरान्त द0प्र0सं0 की धारा 173(2) के अर्न्तगत पुलिस रिपोर्ट (आरोप–पत्र/अन्तिम रिर्पोट) के साथ सक्षम न्यायालय में भेजा जाय।

(11) लैंगिक एवं बालकों के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि दौरान विवेचना, विचारण या अन्य किसी, पश्चातवर्ती स्टेज पर पीड़ित/विक्टिम की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा, तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के साथ–साथ कैस साफ्टवेयर में प्रयोग हो रहे IIF Forms में फॉन्ट साइज 14 का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

(13) इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्गत पत्र संख्या–27/2022, दिनांक 09.09.2022 के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(14) जनपदों में अपराधिक मामलों की गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित किये जाने हेतु थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अर्दलीरूम कर तत्परता से विवेचनाओं का निस्तारण कराया जाय तथा इस सम्बन्ध में निर्गत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–01/2019, दिनांक 02.01.2019, परिपत्र संख्या–38/2021, दिनांक 01.10.2021 एव परिपत्र संख्या–34/2022, दिनांक 08.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(15) प्रत्येक जनपद में संयुक्त निदेशक, अभियोजन की अध्यक्षता में विधि प्रकोष्ठ का गठन करते हुए विवेचकों और अभियोजकों को विवेचनाओं एवं अभियोजन में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से सुनिश्चित अन्तरालों पर प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित कराये जाय।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0।
7. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उ0प्र0।
8. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।
9. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. गृह (पुलिस) अनुभाग—11
11. गृह नियंत्रण कक्ष को उक्त आदेश बेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।